<u>प्रकाशनार्थ नहीं</u>
केवल संसद सदस्यों के लिए

लोक सभा

वाद-विवाद का सारांश
(प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022 / 2 पौष, 1944 (शक)

विदाई संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब हम सत्रहवीं लोक सभा के दसवें सत्र की समाप्ति पर आ गए हैं। यह सत्र 7 दिसम्बर, 2022 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुईं, जो 68 घंटे 42 मिनट तक चलीं। सभा के चालू सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97 प्रतिशत रही। सदन की एक नई माननीय सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव ने दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 को सदस्यता की शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहले बैच और वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा 10 घंटे और 53 मिनट तक चली। वर्तमान सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं - संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022; संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022; संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022; संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (पाचवाँ संशोधन) विधेयक, 2022; और समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2022 । सभा में माननीय सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के 374 मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 298 मामले सदन के समक्ष उठाए अथवा पटल पर रखे। लोक सभा की स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। सत्र के दौरान 56 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गये।

माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 43 वक्तव्य दिए गए, जिनमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य से संबंधित 2 वक्तव्य शामिल हैं। सत्र के दौरान, विभिन्न मंत्रियों द्वारा 1811 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। सभा में "भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता" जिस पर 9वें सत्र में चर्चा आंशिक रूप से हो पाई थी, पर आगे अल्पकालिक चर्चा हुई और माननीय मंत्री जी के उत्तर के साथ सम्पन्न हुई। सत्र के दौरान दिनांक 20 तथा 21 दिसंबर को सदन द्वारा "देश में मादक द्रव्यों के बढ़ते उपयोग की समस्या" के महत्वपूर्ण विषय पर नियम 193 के अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा हुई। इस चर्चा में सदन के 51 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर के साथ सम्पन्न हुई। गैर-सरकारी सदस्यों के संदर्भ में सत्र के दौरान शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022 को गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 59 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। श्री गोपाल चिनैया शेट्टी द्वारा 'जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 29एए का अन्तःस्थापन)' जिस पर 5 अगस्त, 2022 को पिछले सत्र में चर्चा आरंभ हुई थी, वह 9 दिसम्बर, 2022 को भी जारी रही। परंतु चर्चा उस दिन पूरी नहीं हो पाई। इस प्रकार, श्री रितेश पाण्डेय द्वारा 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय' के संबंध में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प को आगे पुनः 16 दिसम्बर, **2022** को चर्चा हेतु लिया गया। चर्चा पूरी होने के पश्चात्, माननीय महिला और बाल विकास मंत्री ने उसी दिन वाद-विवाद का उत्तर दिया। चूंकि, संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सांसद श्री रितेश पांडेय सभा में उपस्थित नहीं थे, संकल्प को सभा में सहमति हेतु मतदान के लिए रखा गया और संकल्प अस्वीकृत हुआ। "आदर्श स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण" विषय पर एक निजी संकल्प माननीय सांसद श्री रेडेप्पा नालकोंडा गारी द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को प्रस्तुत किया गया और इस पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हो पाई।

माननीय सदस्यगण, 08 दिसम्बर, 2022 को सभा ने जिम्बाब्वे की संसद के अध्यक्ष महामहिम एडवोकेट जेकब फ्रांसिस एन. मूडेंडा के नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए जिम्बाब्वे के एक संसदीय शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत किया।

माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में उनके योगदान के लिए सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी एवं विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को

भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई कुशल सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ।

राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

(तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

मूल्य: बारह रुपये © 2022, प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त।
नोट: वाद-विवाद के पूरे विवरण को ही अधिकृत माना जाना चाहिए, सारांश को नहीं।

लोक सभा वाद-विवाद का सारांश अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण वेबसाइट http://loksabha.nic.in पर भी उपलब्ध है।